भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं.48
(जिसका उत्तर सोमवार 1 दिसंबर, 2025 /10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा निधियां

48. श्रीमती बाग मिताली:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में राज्य-वार और एजेंसी-वार कुल कितनी निधियां स्वीकृत की गई हैं;

(ख) उक्त राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों से संपर्क करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग से कितनी परियोजनाओं के लिए मंजूरी मांगी गई है; और

(ग) बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ग): बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में राज्य-वार और एजेंसी-वार स्वीकृत निधियों की कुल राशि और परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है:

राशि मिलियन अमेरीकी डॉलर में (परियोजनाओं की संख्या)						
राज्य का नाम	एडीबी	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	एआईआईबी	एनडीबी	आईएफएडी	ओपेक/ ओएफआईडी
गुजरात	1513.97 (8)	4134.7 (22)	579 (2)	500 (1)	14.98 (1)	0 (0)
पश्चिम बंगाल	2473.36 (14)	2015 (20)	280 (2)	0(0)	17.50(1)	0 (0)
झारखंड	512 (3)	658 (6)	0 (0)	0 (0)	74 (2)	0 (0)

महाराष्ट्र	3635.84 (14)	6427.4 (33)	1885 (4)	501 (2)	224.76 (5)	84 (1)
कुल	**8135.17 (39)**	**13235.1 (81)**	**2744 (8)**	**1001 (3)**	**331.24 (9)**	**84 (1)**

(ख) आर्थिक कार्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा प्रार्थित परियोजना अनापत्तियों की एजेंसी-वार संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य का नाम	एडीबी	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	एआईआईबी	एनडीबी	आईएफएडी	ओपेक/ ओएफआईडी
गुजरात	5	6	2	1	1	0
पश्चिम बंगाल	12	10	2	0	1	0
झारखंड	2	1	0	0	2	0
महाराष्ट्र	16	6	7	5	5	1
कुल	**35**	**23**	**11**	**6**	**9**	**1**

*****